



क्रमांक: एफ4 (201)आकाशि /नि.सं. /2010/ 764

दिनांक: 26-01-2021

आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शिक्षक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन निझी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत सत्र 2020-21 (एक सत्र) के लिए स्नातक स्तर पर पूर्ण संचालित संकाय व विषय में अस्थाई अनापति प्रमाण पत्र में अभिवृद्धि निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है—

संचालक संस्था	महाविद्यालय का नाम	सम्बद्ध केन्द्रीय विश्वविद्यालय	पूर्ण संचालित संकाय व विषय
श्री वैपलालता शिद्धान्त समिति, सूरतपुरा, तहसील लालसोट, जिला दौसा।	गृह्य महाविद्यालय, सैथल रोड, चाईपासा चौराहा, दौसा।	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।	स्नातक स्तर पर — कला, संकाय— हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र।

- संस्था अस्थाई अनापति प्रमाण—पत्र प्राप्त प्रत्येक सत्र हेतु नियमानुसार मध्य वार्षिक शुल्क आवेदन करेगी।
- संस्था सत्र 2021-22 में निर्धारित अवधि में नियमानुसार अनापति प्रमाण पत्र अभिवृद्धि हेतु आवेदन करेगी।
- संस्था द्वारा सावधि जाना राशि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
- आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अग्रिम उपलब्ध करायेगी।
- संस्था को समय—समय पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
- संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी0सी0आई0 से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्परताएँ ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।
- संस्था संकाय व विषयावार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तथा संलग्न सीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
- संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अर्थीकरण कराफ थी सत्र-2 अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
- राज्य सरकार की महाविद्यालय प्रवेश नीति 2020-21 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
- संस्था प्रति वर्ष विभाग के NOC पोर्टल पर आवश्यक सांख्यिकी एवं महाविद्यालय की सूचनाएँ निर्धारित अवधि में भरकर अपलोड करेगी।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल WWW.aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर कराकर DCF-II (Data Capture format-II) भरकर अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय अपलोड प्रमाण—पत्र की हार्ड कॉपी आवश्यकतानुसार आयुक्तालय में प्रस्तुत करेंगे।

उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर अस्थाई अनापति प्रमाण पत्र को निश्चित कर दिया जायेगा।

Jah
आयुक्त

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

- विशिष्ट सहायक, मा० उच्च शिक्षा मंडी महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- निझी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- निझी सचिव, आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- जिला कलेक्टर, दौसा।
- कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
- सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय।
- गांधियनी शास्त्र, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- राजित पत्रावली।

अन्तर्गत
संयुक्त-निदेशक (नि०सं०)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर